



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1993/ज्येष्ठ 5, 1915

No. 303]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 1993/JYAISTHA 5, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1993

का.आ. 333(अ):—केन्द्रीय सरकार, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 मई, 1993 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसकी उक्त अधिनियम के भाग III के उपबन्ध भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के सभी वर्ग के ऐसे स्थानों के बारे में

प्रवर्ष होंगे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई भी उपजीविका और प्रक्रिया नहीं की जाती है।

[फाइल सं. एस-27025/91/91—सी एल]

शशी जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1993

S.O. 333(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), the Central Government hereby appoints the 26th day of May, 1993 as the date on which the provisions of Part III of the said Act shall come into force in respect of all classes of establishments, throughout the territory of India, in which none of the occupations and processes referred to in Section 3 of the said Act is carried on.

[F. No. : S-27025|91|91-CL]

SHASHI JAIN, Jt. Secy.